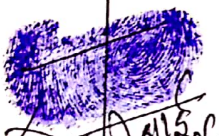

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम ... हुक्म की ... में जारी
1-5-17	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। पार्षद आदेश, लोक अदालत कैम्प दिनांक 25/6/17 को पेश हो।	
	राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार–2017" केम्प स्थल.....[illegible] दिनांक 5/7/17	
मोहनी बाई (पत्नी शर्मा जी) किशनलाल (पति अप्रार्थी नं. 1 का)	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश। उपस्थित पक्षों को सुना गया। पत्रावली का भली भाँति अवलोकन किया गया। प्रा० पत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोष अप्रार्थी० के जवाब व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भली भाँति मनन कर विश्लेषण किया गया। पक्षकारान के खाते में दर्ज नम्बरान साबिक एक ही नं० 310 से बाद बंदोबस्त पैमूद किये गये हैं। पुराने नक्शे का अवलोकन किया गया। पुराने नक्शे में किसी भी प्रकार की तरमीम नहीं हो रही है। यही तथ्य जवाब अप्रार्थी नं० 7 में अंकित है। अप्रार्थी नम्बर 2 लगायत 5 का कथन है, कि उन्हे यह जमीन खसरा नम्बर 319 की आवंटन हुई थी, अप्रार्थीगण तभी से उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। राजस्व रिकार्ड में कोई त्रुटि नहीं	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हुई है।	
	इस प्रकार अप्रार्थीगण के जवाब तथा रिकार्ड पर सम्यक विचार किया गया। रिकार्ड अर्थात साबिक व हाल नक्शे में प्रार्थी के हितों के विपरीत किसी प्रकार की त्रुटि कारित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।	
	साथ ही साथ प्रकरण से संबंधित हितबद्ध पक्षकार जैसा कि धारा 136 L.R.Act 1956 में सुस्थापित किया हुआ है, प्रार्थी द्वारा वाँछित अनुतोष से सहमत नहीं है।	
	इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र L.R.Act 1956 की धारा 136 के सुसंगत प्रावधानों के तहत गवर्न नहीं हो रहा है। क्योंकि उक्त धारा के तहत हितबद्ध पक्षकारों की सहमति से "क्लारीकल मिस्टेक" को दुरुस्त किया जा सकता है। और प्रकरण में क्लारिकल मिस्टेक प्रमाणित नहीं है।	
	अतः प्रा० पत्र प्रार्थी इसी स्तर पर अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।	
	अतः उपर्युक्त विश्लेषण व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी
	विवेचन के आधार पर प्रा० पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। प्रार्थी द्वारा वांछित अनुतोष हेतु वह सक्षम से पुकली का वाद R.D. Act के प्रावधानों के तहत पेश करने हेतु स्वतंत्र होगा। प्रार्थना पत्र की निर्णिति में गणना की जावे। पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय आज दि० 4.7.2017 को राजस्व लोक अदालत में सुनाया। (चिन्मयी गोपाल) I.A.S.	

Scanned by CamScanner